BSES

बिजली चोरी में सख्त सजाः

मकान मालिक व किरायेदार को तीन साल की सश्रम जेल, 25 लाख का जुर्माना

उद्योगपति को भी एक साल की जेल, 12 लाख का जुर्माना

नई दिल्लीः 17 दिसंबर, 2014। दो अलग–अलग मामलों में मकान मालिक व किरायेदार, और एक उद्योगपति को जेल की सख्त सजा सुनाई गई है। उन पर भारी जुर्माना भी किया गया है। साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने तुगलगाबाद में रहने वाले मकानमालिक और किरायेदार दोनों को 3 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई गई है और 25 लाख का जुर्माना भी किया गया है। इधर, कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने एक उद्योगपति को 1 साल की जेल और 12 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी मकान मालिक केशव देव और किरायेदार मुख्तार उर्फ मुहर्रम को कोर्ट ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 27 किलोवॉट की बिजली चोरी का दोषी पाया, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धाराओं के तहत उन्हें 3–3 साल सश्रम जेल की सजा सुनाई। उन पर 25 लाख रूपये जुर्माना भी किया गया है। इसमें 15.5 लाख रूपये का फाइन और 10 लाख रूपये की सिविल लायबिलिटीज भी शामिल है। अगर वे इस जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा।

इधर, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी निवासी मुकेश कुमार को कोर्ट ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 16 किलोवॉट बिजली की चोरी का दोषी पाया और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत 1 साल जेल की सजा सुनाई। उन पर 12.7 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है।

मकानमालिक और किरायेदार को सजा सुनाते हुए स्पेशल कोर्ट साकेत के माननीय अडिशनल सेशंस जज श्री राकेश तिवारी ने कहा– *मेरे विचार में यह आर्थिक अपराध है, जहां दोषी की गलतियों की सजा पूरा समाज और बिजली के बिलों का ईमानदारी से भुगतान करने वाले उपभोक्ता भुगत रहे हैं। ऐसे दोषी लोग दूसरों की कीमत पर लाभ कमा रहे हैं और ऐसे में, वे रहम के हकदार नहीं हैं।*

माननीय जज ने कहा कि ऐसे में, दोषी करार दिए गए केशव देव को और मुख्तार उर्फ मुकर्रम को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 व 150 के तहत, तीन साल सश्रम कैद की सजा सुनाई जा रही है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2011 में, बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने 415/11, तुगलकाबाद में एक जाली मीटर के माध्यम से बिजली की चोरी पकड़ी थी। वहां सिलाई फैक्ट्री का काम चल रहा था। बीएसईएस ने बिजली कानून के मुताबिक आरोपियों पर 11 लाख रूपये का जुर्माना किया था, लेकिन उन्होंने तय समय के भीतर जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद, मामले को अदालत में ले जाया गया था।

इधर, पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में फैक्ट्री चलाने वाले महेश कुमार को सजा सुनाते हुए कड़कड़डूमा स्थित स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट के माननीय जज डॉ शहाबुद्दीन ने कहा– *बिजली कानून की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के ऐसे मामले दंडणीय हैं और इनमें तीन साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। दोषी व्यक्ति को बिना किसी सही कारण के औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बिजली की सीधी चोरी करने करते पकड़ा गया था। मेरी नजर में दोषी व्यक्ति द्वारा बिजली की चोरी एक गंभीर अपराध है।*

माननीय जज के मुताबिक– *इस अपराध के अलावा, वर्तमान में दोषी व्यक्ति को किसी और अपराध में शामिल नहीं पाया गया है। उपरोक्त कारणों की वजह से मैं दोषी करार दिए गए व्यक्ति के प्रति थोड़ी रहम बरतते हुए उन्हें 1 साल की साधारण जेल की सजा सुनाने के लायक समझता हूं।*

कोर्ट के मुताबिक, दोषी कार दिए गए व्यक्ति की तरफ से 1 लाख रूपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस रकम को नियम के हिसाब से कुल सिविल लायबिलिटी की रकम में एउजस्ट किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि महेश कुमार को 2007 में बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 16 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा था। उन पर 15.9 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था। आरोपी ने सिर्फ 1 लाख रूपये का भुगतान किया था और बाकी रकम का भुगतान करने से उन्होंने इन्कार कर दिया था। जब तय समय के भीतर जुर्माने की कुल रकम का भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी के खिलाफ मामले को कोर्ट में ले जाया गया।